कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक

भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश ।

विषयः—जिला स्तर पर "निरामयम" स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन संबंधी।

संदर्भः—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ए.बी./सी.ई.ओ./2019/25 भोपाल दिनांक 23.01.19 एवं पत्र क्रमांक/ए.बी./सी.ई.ओ./2019/35 भोपाल दिनांक 01.02.2019

---0---

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के वंचित वर्ग के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में माह फरवरी—2019 में "निरामयम्" स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2018—19 आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) की घोषणा की गई, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार किये जाने का प्रावधान है। आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत SECC सर्वेक्षण में चिन्हांकित लाभार्थियों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों (संबल योजना) को भी इस योजना का लाभ दिया जाना है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत इलाज के लियें 1393 पैकेजेस स्वीकृत है।

स्वास्थ्य शिविरों में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति क्लब फुट, कैंसर, बांझपन, महिला से संबंधित अन्य बीमारियां इत्यादि अथवा अन्य कोई बीमारी के मरीज है जो कि आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश "निरामयम्" योजना के पैकेजेस में नहीं आते हैं, उनका इलाज भी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अन्य योजना में हितग्राही के रूप में चिन्हाकित करते हुए समुचित उपचार उपलब्ध कराया जावेगा।

यह अनुरोध है कि संभाग/ जिले के अंतर्गत आने वाले जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करें कि वे जिलों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करें एवं व्यापक प्रचार—प्रसार की व्यवस्था करावें। इन स्वास्थ्य शिविरों के शुभारंभ में माननीय प्रभारी मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, अन्य स्वयं सेवी तथा समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों सहित अधिकाधिक लोगों को आमंत्रित करें। शिविर के सफल संचालन में अपना अमूल्य मार्गदर्शन देवें, ताकि अधिकाधिक लोगों को सुविधा का लाभ मिल सके।

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक./ए.बी./शिविर/सी.ई.ओ./2019/42 भोपाल, दिनांक 6/02/2019

<u>प्रतिलिपि</u>ः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत ''निरामयम'' मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
6. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,म.प्र.।
7. वेब एडमिनिस्ट्रर, आयुष्मान भारत म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश